

२०.६।१ पत्रावली पेश हुई, बकूलाय फरिडेन उपरिचित
मूल कादपत्र सं. ३०।।७ मे निर्णय हो जाने से यह
प्रार्थना का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता
है.

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल कादपत्र के साथ
सलम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा